न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कि0रेनवाल जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – सर्वेश शर्मा R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 12/2025 दायर तारीख :– 14.05.2025

1. नन्दाराम पुत्र गरीबा फौत
   1/1 पोखरमल
   1/2 रामदेव जाट
   1/3 तेजपाल
   1/4 टोडाराम
2. छोटूराम पुत्र गरीबा फौत
   2/1 कालूराम पुत्र छोटू
3. रामेश्वर पुत्र उदा

समस्त जाति जाट निवासीयान मोहन का बास तहसील कि0 रेनवाल जिला जयपुर राज.

वादीगण

बनाम

1. भूरा पुत्र मंगला फौत
   1/1 सेडूराम
   1/2 घीसाराम
2. नाथूराम पुत्र रूपा
3. सुरेश पुत्र रूपा
4. नारायण पुत्र श्योबक्स फौत
   3/1 श्रीपाल पुत्र नारायण
5. रामेश्वर पुत्र गुल्ला
6. बुधाराम पुत्र किशना फौत
   5/1 गोपाललाल
   5/2 कानाराम
   5/3 कैलाश
   5/4 सुजा पुत्र बुधा फौत
   5/4/1 राकेश पुत्र सुजा

समस्त जाति जाट निवासी मोहन का बास तहसील कि0 रेनवाल जिला जयपुर राज0

7. नारायण पुत्र पन्ना
8. ज्ञाना पुत्र देवा जाट
9. अर्जुन पुत्र छीतरमल जाट
10. तहसीलदार तहसील कि0.रेनवाल

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री हनुमान जाखड, अधिवक्ता वादीगण
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक 31/10/25

1. वादीगण ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वादीगण सयुंक्त हिन्दू परिवार के मुश्तर्का खानदान के सदस्य है जिनका सिजरा खानदान वाद पत्र में वर्णित है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 6 की सयुंक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की सयुंक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की अविभाजित आराजीखसरा नम्बर 239, 240 ,241 ,242 ,244,243245,246,कुल रकबा 53 बीघा 12 बिस्वा ग्राम मोहन का बास पटवार हल्का खेडी मिल्क तहसील फुलेरा हाल तहसील कि0 रेनवाल में सिथति है। जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा है एंव प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 का 1/2हिस्सा राजस्व रिकोर्ड में अंकित है ओर इसी अनुसार बुजुरगो से कब्जा काश्त चला आ रहा है। वरवक्त पर्चा सेटिलमेन्ट प्रतिवादीगण 1 ल0 6 के बुजुर्गो के नाम तो उनके कब्जेअनुसार हिस्सा सही

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

दर्ज हो गया जिसके अनुसार वर्तमान में प्रतिवादी नम्बर 1 ल0 4 का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 5 रामेश्वर का 1/24 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 6 का 1/8 हिस्सा अंकित है इस प्रकार प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 6 का मिलाकर 1/2 हिस्सा है एंव वादीगण जो गरीबा पुत्र देवा के वंशज है का 1/2 हिस्सा अंकित न होकर राहवन रो वादीगण का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी नम्बर 7,8 के नाम 1/4 हिस्सा यानि प्रतिवादी 7,8 के नाम का 1/4 हिस्सा यानि प्रतिवादी नम्बर 7 का 1/8 व प्रतिवादी नम्बर 8 का 1/8 हिस्सा अंकित हो गया जबकि नारायण पुत्र पन्ना व ज्ञाना पुत्र देवा नाम को कोई व्यक्ति नही है, और न इन नामों के व्यक्ति का कोई शख्स का कब्जा रहना अपितु सदैव से 1/2 हिस्से पर वादीगण व 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 6 काबिज काश्त चले आ रहे है और इसी अनुसार खातेदारी के अधिकारी है। राजस्व रिकोर्ड में प्रतिवादी नम्बर 7,8 का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकोर्ड में गलत अंकित होने का फायदा उठाते हुये नाजायज लाभ अर्जित करने की गरज से नाथ्या उर्फ नाथू पुत्र पन्ना नाम के व्यक्ति ने अपने आपको नारायण पुत्र पन्ना बताते हुये व मानाराम पुत्र दीपा नाम के व्यक्ति ने अपने आपको ग्याना पुत्र देवा बताते हुये विवादग्रस्त आराजीयात का 1/4 हिस्से का दस्तावेज प्रतिवादी नम्बर 9 के हक में 2.1.2006 को तहरीर कराकर उपपंजीयक रेनवाल के याह प्रतिवादी नम्बर 9 के हक में पंजीयन करा दिया, जबकि उक्त प्रतिवादी नम्बर 7,8 का न तो कोई कब्जा था न उनका कोई सरोकार था। खातेदारी में उक्त नारायण, ग्याना नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुये अपने आपको नाथ्या उर्फ नाथू पुत्र पन्ना ने नारायण बताते हुये व मानाराम पुत्र दीपा ने ग्याना पुत्र देवा बताते हुये गलत रजिस्ट्री करायी है। जबकि क्रेता प्रतिवादी नम्बर 9 को कोई वास्तविक व भौतिक रूप से कब्जा नहीं दिया गया है,जबकि क्रेता प्रतिवादी नम्बर 9 का कोई वास्तवित व भौतिक रूप से कब्जा नहीं दिया गया है, आज भी 1/2 हिस्से पर वादी गया व 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 1लगायत 6 पूर्व की तरह काबिज काश्त है। अतः प्रतिवादी नम्बर 9 को कोई खातेदारी अधिकार 1/4 हिस्से के प्राप्त नहीं हो सकते वादीगण कथित विक्रय विलेख 2.01.06 से कतई पांबद नहीं है जब कि नाथ्या ने अन्य आराजी का दस्तावेज 20.06.03 को पप्पू , प्रेमप्रकाश निवासी मोहन का बास केहक में कराया है उसमें अपने नाथ्या प्रदर्शित किया है। प्रतिवादीगण नम्बर 8 अवैध 2/1/2006 के बेचान पत्र के आधार पर नामान्तकरण खातेदारी खुलवाकर वादीगण को बेदखल करने व नाजायज बलपूर्वक कब्जा करने/कराने पर उतारू है इस गरज से दिनांक 10.3.2006 को प्रतिवादी नम्बर 9 अजनबियों को साथ लेकर विवादग्रस्त आराजी पर आये व जबरन 1/4 हिस्से परकब्जा करने पर उतारू हुये वादीगण ने आपत्ति की तो उन्होने आराजी क्रय करने की बात कही जिस पर वादी ने संबंधित दस्तावेजो की जानकारी कर नकले प्राप्त की तब उक्त जालसाजी का इल्म हुआ, अतः वादीगण के लिए वाद बाबत तकासमा आराजी/स्थायी निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ है।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं० 1 लगा0 9 बावजूद सूचना हाजिर नहीं हुये अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पूर्व में यह वाद माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर सांभरलेक को क्षेत्राधिकार होने के कारण माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर सांभरलेक में विचारधीन था जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की ओर से वकील राजेन्द्र चोपडा ने वकालतनामा पेश किया तथा काफी अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब नहीं दिये जाने पर जवाब बंद कर दिया गया था। प्रतिवादी संख्या 7,8 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल लाई गयी थी। प्रतिवादी संख्या 9 की ओर से वकील अवधेश कुमार पारीक उपस्थित हुये तथा जवाब दावा पेश करने हेतु काफी अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब दावा पेश नहीं होने पर जवाब बंद किया गया। उक्त आदेश की निगरानी माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में की जाने पर माननीय न्यायालय के 1000 रूपये की कोस्ट पर प्रतिवादी संख्या 9 को जवाब दावा पेश करने हतु जवाब

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

दावा पेश करने हेतु अवसर प्रदान किया गया। जिसके पश्चात उक्त पत्रावली क्षेत्राधिकार मे परिवर्तन होने के कारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ रेनवाल में स्थान्तरित हुई जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादी संख्या 9 की तलबी पश्चात प्रतिवादी हाजिर नहीं हुआ अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल गई ।

3. वादीगण की ओर से न्यायालय सहायक कलक्टर सांभरलेक में उक्त वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य में मौखिक साक्ष्य में श्री रामेश्वर , श्री सुजाराम , श्रीशिशपाल, श्री पूराराम, श्री टोडाराम, के सशपथ बयान लेखबद्ध कराए गए तथा वादी की आरे से दस्तोवजी साक्ष्य में प्रदर्श–01 जमाबन्दी संवत 2060–63 , प्रदर्श–02 नकल विक्रय पत्र , प्रदर्श–03 निर्वाचक नामावली विधानसभा वर्ष 1988, प्रदर्श–04 निर्वाचक नामावली वर्ष 2004 तथा प्रदर्श 05 नकल बेचान पत्र प्रदर्शित करवाये गए ।

4. वादी अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष लिखित बहस पेश की गई।

5. जिसका सूक्ष्म वृतांत इस प्रकार है कि लिखित बहस अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात को 1/2 हिस्से पर वादीगण के पूर्वज गरीबा का पर्चा सेटलमेंट के समय से कब्जा वक्त निरंतर चला रहा हैं। पर्चा सेंटलमेट के समय सहवन से गरीबा पुत्र देवा के वारिसान के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज नही होकर 1/4 हिस्सा दर्ज हो गया तथा शेष हिस्सा 1/4 हिस्सा प्रति–06 नारायण व प्रति–07 ज्ञाना के नाम सहवन से दर्ज हो गया जबकि इस नाम से कोई व्यक्ति गांव में नही थे। तथा इस नाम के व्यक्तियो का कोई कब्जा काश्त भी उक्त आराजीयात पर नही रहा वादीगण का वादग्रस्त आराजीयात के 1/2 हिस्से पर सदैव से ही कब्जा काश्त रहा है प्रति–06व 07 ने गलत नाम अकिंत होने का फायदा उठाकर उक्त आराजीयात के 1/4 हिस्से का अवैध बेचान दिनांक 02.01.2006 को प्रति–08 के नाम करवा दिया जबकि प्रति–08 को वास्तविक रूप से मोके पर कब्जा नही दिया गया क्योकिं मोके पर पर्चा सेटलमेंट के समय से ही 1/2 हिस्से पर वादीगण का कब्जा काश्त है। नाथ्या उर्फ नाथू पुत्र पन्ना द्वारा एक अन्य बेचान पत्र दिनांक 20.06.2003 को तस्दीक कराया गया जिसमें दर्ज नाम नाथ्या उर्फ नाथू पुत्र पन्ना दर्ज है।जो व्यक्ति का सही नाम है। दिनांक 02.01.2006 को इसी व्यक्ति द्वारा नारायण पुत्र पन्ना नाम से रजिस्ट्ररी करवाई गई एक ही व्यक्ति द्वारा द्वारा नारायण पुत्र पन्ना तथा नाथ्या उर्फ नाथू पुत्र पन्ना नाम से पंजीयन तस्दीक करवाया गया है। जो विधि सम्मत नही है। इसी प्रकार ज्ञाना पुत्र देवा बनकर प्रति–07 ने 20.01.2006 को विकय पत्र तस्दीक कराया जबकि इसका नाम माना पुत्र दीपा था। जो 1998 विधानसभा फुलेरा की निर्वाचक नामावली में दर्ज है। निर्वाचक नामावली 2004 में फर्जी बेचान करवाने वाले का सही नाम नाथूराम पुत्र पन्ना व माना पुत्र दीपाराम दर्ज है।

6. हमने वादी अधिवक्ता की बहस को ध्यान पूर्वक सुना ओर उस पर मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड दस्तावेजात , बयान का गंभीरता पूर्वक अवलोंकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानो पर गौर किया । जिससे स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण मे वादीगण द्वारा पर्चा सेटलमेंट के दौरान गरीबा के वारिसान वादीगण के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज न होकर पर्चा सेंटलमेट के समय सहवन से 1/4 हिस्सा दर्ज होने की त्रुटि के आधार पर वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित करने का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन पर जाहिर होना है कि वादीगण द्वारा अपने दावे के पक्ष में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। वादीगण द्वारा पर्चा सेंटलमेंट का राजस्व रिकोर्ड भी दस्तावेजात में प्रस्तुत नही किया गया है। वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में जमांबदी संवत 2060–63 में प्रदर्श करवाई गई है जिनमें वादीगण नन्दा ,छोटू, हनुमान पिता गरीबा हिस्सा 3/16 तथा रामेश्वर पिता उदा हिस्सा 1/16 राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है इस प्रकार जमांबदी संवत 2060–63 में वादीगण का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। वादीगण द्वारा पर्चा सेटलमेंट के समय से 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त होने का कथन किया गया है । वादीगण द्वारा कब्जे काश्त के समर्थन में भी कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-रैनवाल
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

वादीगण की ओर से पेश गवाहान द्वारा वादीगण के 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त होने का बयान दिया गया है परन्तु किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से वादीगण का कब्जा साबिज नही होता है। केवल मौखिक कथनो के आधार पर कोई राहत प्रदान नही की जा सकती है। मौखिक कथनो का दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित किया आवश्यक है वादीगण द्वारा दिनांक 20.06.2003 को नाथ्या उर्फ नाथू पुत्र पन्ना द्वारा नारायण पुत्र पन्ना तथा माना पुत्र दीपा द्वारा ज्ञाना पुत्र देवा बनकर प्रति–08 के पक्ष में फर्जी पंजीयन तस्दीक कराने का कथन किया गया है। इसके संबध में न्यायालय मत है कि धोखाधडी के आधार पर पंजीकृत दस्तावेजो को शून्य घोषित करने का अधिकार राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही है। यह शक्ति सिविल न्यायालय के पास है जो कि धोखाधडी के आधार पर दस्तावेजो को शून्य घोषित कर सकता हैं

7. उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ठोस दस्तावेजी साक्ष्यो का मोहताज है। अतः– वादीगण का वाद दस्तावेजी साक्ष्य से पुष्ट नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादीगण के द्वारा अपना वाद साबित नहीं किये जाने से खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय दिनांक 31/10/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़–रेनवाल सत्यमेव जयते

(सर्वेश शर्मा)RAS
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल
कि0रेनवाल

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी कि0रेनवाल

बइजलास :– सर्वेश शर्मा आर.ए.एस.

1. नन्दाराम पुत्र गरीबा फौत
   1/1 पोखरमल
   1/2 रामदेव जाट
   1/3 तेजपाल
   1/4 टोडाराम
2. छोटूराम पुत्र गरीबा फौत
   2/1 कालूराम पुत्र छोटू
3. रामेश्वर पुत्र उदा

समस्त जाति जाट निवासीयान मोहन का बास तहसील कि0 रेनवाल जिला जयपुर राज.

वादीगण

बनाम

1. भूरा पुत्र मंगला फौत
   1/1 सेडूराम
   1/2 घीसाराम
2. नाथूराम पुत्र रूपा
3. सुरेश पुत्र रूपा
4. नारायण पुत्र श्योबक्स फौत
   3/1 श्रीपाल पुत्र नारायण
5. रामेश्वर पुत्र गुल्ला
6. बुधाराम पुत्र किशना फौत
   5/1 गोपाललाल
   5/2 कानाराम
   5/3 कैलाश
   5/4 सुजा पुत्र बुधा फौत
   5/4/1 राकेश पुत्र सुजा

समस्त जाति जाट निवासी मोहन का बास तहसील कि0 रेनवाल जिला जयपुर राज0

7. नारायण पुत्र पन्ना
8. ज्ञाना पुत्र देवा जाट
9. अर्जुन पुत्र छीतरमल जाट
10. तहसीलदार तहसील कि0.रेनवाल

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा
मुकदमा नंबर 12/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री हनुमान जाखड व हाजरी ..... मिनजानिब मुददई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण के द्वारा अपना वाद साबित नहीं किये जाने से वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। निज .....–..... मुबलिग.....–..... बाबत्.....–..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.....–..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....–..... ...का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31 माह 10 सन् 2025 को जारी की गई।

(सर्वेश शर्मा) RAS
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल
कि0रेनवाल

नन्दाराम बनाम भूरा वगै0
वाद सं0 12/2025

मुहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	—	—	स्टाम्प अर्जी दावा	—	—
स्टाम्प वकालतनामा	—	—	स्टाम्प अर्जी	—	—
स्टाम्प वजह सबूत	—	—	महन्ताना वकील	—	—
महन्ताना वकील	—	—	खर्चा गवाहान	—	—
खर्चा गवाहान	—	—	फीस कमीश्नर	—	—
फीस कमीश्नर	—	—	बबत् इजराय हुक्मनामा	—	—
मुतफरिक	—	—	मुतफरिक	—	—
मीजान	—	—	मीजान	—	—

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेंगड़ान

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
किशनगढ़-रेंगड़ान